"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 6, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-35/2017/वा. क. (आब.)/पांच (157). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 25 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के लिए फुटकर विक्रय दर के निर्धारण के लिये किए गए पूर्णन (राउण्डिंग) के अंतर की राशि के बराबर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी अधिरोपित करता है.

स्पष्टीकरण :- फुटकर विक्रय दर के निर्धारण के लिये किए गए पूर्णन (राउण्डिंग) से हुई हानि का समायोजन आधिक्य की राशि में की जा सकेगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2017 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 10-35/2017/वा. क. (आब.)/पांच (157).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2017/वा. क. (आब.)/पांच (157), दिनांक 27-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th October 2017

NOTIFICATION

No. F 10-35/2017/CT(Ex.)/V (157). — In exercise of the power conferred by sub-section (1) & (2) of Section 25 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby levies additional excise duty equal to the difference amount due to rounding off in fixation of retail sale price of country and foreign liquor.

Explanation :- The loss due to rounding of retail sale price can be adjusted in the excess amount.

2. This notification shall be applicable from 01-04-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.